प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 37/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर अनुशंसाए जारी कीं

नई दिल्ली, 2nd मई 2023- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर अनुशंसाए जारी की हैं।

2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार करने में आसानी) (ईओडीबी) की पहचान हाल के दशक में सरकार के फोकस क्षेत्रों में से एक के रूप में की गई है। ईओडीबी इस तथ्य की मान्यता है कि व्यापार और उद्यम को सक्षम करने की आवश्यकता है। सरकार सभी क्षेत्रों में हर स्तर पर कारोबारी माहौल में सुधार करने का प्रयास कर रही है। एक क्षेत्र विनियामक के रूप में, यह भादूविप्रा पर निर्भर है कि वह दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में कारोबारी माहौल में सुधार करे।

3. भादूविप्रा ने 8 दिसंबर 2021 को " दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी " पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इससे पहले, भादूविप्रा ने मुख्य रूप से डीओटी और एमआईबी के लिए ईओडीबी परामर्श लिया था। हालाँकि, वर्तमान अभ्यास कई मंत्रालयों / विभागों में फैला हुआ है। ईओडीबी को 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ शुरू से अंत तक प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। एक आवेदन - एक खिड़की सभी अंतर-मंत्रालयी अनुमोदनों के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

4. परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां हितधारकों से क्रमशः 09 फरवरी 2022 और 23 फरवरी 2022 तक आमंत्रित की गई थीं। प्राधिकरण को विभिन्न हितधारकों से 45 टिप्पणियां और 4 प्रति टिप्पणियां प्राप्त हुईं। ये सभी टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। 21 अप्रैल 2022 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) भी आयोजित किया गया था।

5. ईओडीबी पर इस व्यापक अभ्यास के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। लाइसेंस के जीवन-चक्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया, अनुपालन प्रक्रिया, सूचना प्रस्तुत करने और भुगतान प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। प्रत्येक प्रक्रिया के लिए 'क्या' और 'क्यों' जैसे प्रश्न उठाए गए हैं। अपनी परंपरा को कायम रखते हुए, भादूविप्रा ने सभी टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया। यह जानकर खुशी होती है कि कुछ नीति निर्माताओं ने सक्रिय रूप से हितधारकों के दर्द बिंदुओं का अनुसरण

किया है। भादूविप्रा की टीम ने संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से बातचीत की। इस सहयोगी और सुलह के दृष्टिकोण ने नीति निर्माताओं को अनावश्यक प्रक्रियाओं/सूचनाओं की पहचान करने में मदद करना शुरू कर दिया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा पहले ही काफ़ी सुधार किए जा चुके हैं। ये पहल प्रशंसनीय हैं।

6. ईओडीबी एक बार की जाने वाली गतिविधि नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए, भादूविप्रा, इन अनुशंसाओं के माध्यम से, ईओडीबी पर ध्यान देने के साथ एक स्थायी समिति की स्थापना का प्रस्ताव करता है। भादूविप्रा दोनों क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिए परिस्थितियों के निर्माण और पोषण के लिए प्रतिबद्ध है। अनुशंसाए ईओडीबी पर प्रक्रिया-आधारित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती हैं। भादूविप्रा की कल्पना है कि इस तरह का इको-सिस्टम समय-समय पर समीक्षा और आगे के सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगा। इन अनुशंसाओं के त्वरित कार्यान्वयन से इन क्षेत्रों का विकास होगा।

7. इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. एक उपयोगकर्ता के अनुकूल, पारदर्शी और उत्तरदायी डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम आधारित पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए। शुरू से अंत तक अंतर-विभागीय ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राप्त करने के लिए पोर्टल को नई डिजिटल तकनीकों के साथ सक्षम किया जाना चाहिए।

ख. प्रत्येक मंत्रालय को मौजूदा प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा, सरलीकरण और अद्यतन करने के लिए एक स्थायी ईओडीबी समिति की स्थापना करनी चाहिए और एक सतत गतिविधि के रूप में व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग. एमआईबी, डीओटी, डीओएस, एमईआईटीवाई और अन्य एजेंसियों को प्रारंभिक और साथ ही अतिरिक्त अनुमतियों सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए चरण-वार समय-सीमा निर्दिष्ट करनी चाहिए, जिसका उल्लेख संबंधित दिशानिर्देशों/नीति में किया जाना चाहिए और नागरिक चार्टर में अद्यतन किया जाना चाहिए।

घ. सरकार 'प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र' को 'बुनियादी ढांचे का दर्जा' देने पर विचार कर सकती है और प्रदान कर सकती है।

ङ. डब्ल्यूपीसी को लाइव इवेंट के अस्थायी अपलिंकिंग के लिए इवेंट के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए प्रो-राटा आधार पर स्पेक्ट्रम रॉयल्टी शुल्क लेना चाहिए।

च. एलसीओ को सक्षम करने के लिए:

i. एलसीओ के पंजीकरण के लिए एमआईबी द्वारा एक साधारण मोबाइल ऐप विकसित किया जाना चाहिए। 5 साल से पहले रद्द करने का अनुरोध भी सक्षम होना चाहिए।

ii. आरओडब्ल्यू पोर्टल ("गतिशक्ति संचार पोर्टल") में एलसीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाना चाहिए। डीओटी को एमआईबी के परामर्श से एलसीओ के लिए भी आरओडब्ल्यू अनुमोदन सक्षम करना चाहिए। आरओडब्ल्यू पोर्टल तक पहुंचने के लिए पोर्टल और ऐप पर एक हाइपरलिंक/बटन आइकन प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. एमआईबी को पंजीकृत एलसीओ के सामान्य डेटाबेस को बनाए रखना चाहिए। पंजीकृत एलसीओ की सूची भी बड़े पैमाने पर जनता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

छ. एकीकृत लाइसेंस के लिए डीओटी लाइसेंस समझौते के नियम और शर्तें:

i. एक नेटवर्क में एक नई सेवा का वैध अवरोधन निगरानी प्रदर्शन केंद्रीय रूप से एक एलएसए/ स्थान पर हो सकता है।

ii. रोलआउट दायित्वों की प्रक्रिया की शुरू से अंत तक की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल में एक मॉड्यूल होना चाहिए।

iii. विदेशी स्थानों से नेटवर्क तक दूरस्थ पहुंच के लिए अनुरोध की प्रक्रिया और डीओटी द्वारा अनुमोदन ऑनलाइन और समयबद्ध किया जाना चाहिए।

ज. आईएसपी पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए:

i. सरकार आईएसपी नोड्स या उनके स्थानों और ब्रॉडबैंड/लीज्ड/डायल अप सब्सक्राइबरों की संख्या के साथ उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) का विवरण प्रदान करने के लिए आईएसपी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए हर साल एक बार की आवधिकता को संशोधित कर सकती है।

ii. वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया को सिंगल विंडो पोर्टल पर शामिल किया जाए।

झ. सबमरीन केबल बिछाने और मरम्मत के लिए:

i. भारत के भारतीय प्रादेशिक जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों ('ईईजेड') में सबमरीन केबल बिछाने और मरम्मत करने तथा भारत में केबल लैंडिंग स्टेशनों को 'महत्वपूर्ण और आवश्यक सेवाओं' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

ii. सबमरीन केबल नेटवर्क बिछाने, संचालन और रखरखाव की अनुमति भी सरल संचार पोर्टल के एक भाग के रूप में ऑनलाइन की जानी चाहिए।

iii. एक समिति को भारतीय समुद्री संदर्भ में विशेष कॉरिडोर की पहचान करने और घोषित करने के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और व्यवहार्यता की समीक्षा करनी चाहिए।

ञ. सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार विभाग के लाइसेंस वापस करने, एनओसी जारी करने और बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया को सरल, ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया जाना चाहिए।

ट. उपयुक्त वैज्ञानिक सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर एलएफ और एसयूसी के 100% सत्यापन को नमूना आधार कटौती सत्यापन के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

ठ. टीएसपी द्वारा डीओटी एलएसए को सीएएफ जमा करना ऑनलाइन किया जाना चाहिए। सीएएफ के लिए, डीओटी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से नमूना आकार को कम करने पर विचार कर सकता है।

ड. डब्ल्यूपीसी की फ्रीक्वेंसी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के नामकरण को संशोधित किया जाना चाहिए और इसे 'फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट' प्रक्रिया कहा जाना चाहिए। तदनुसार, नियम और शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए। एसएसीएफए मंजूरी और एनओसीसी वाहक योजना अनुमोदन के बाद, डब्ल्यूपीसी द्वारा एक एकल फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट पत्र जारी किया जाना चाहिए। एलओआई, निर्णय पत्र, डब्ल्यूओएल और एनओसीसी द्वारा अपलिंक अनुमति को समाप्त किया जाना चाहिए। फ़्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर को सेवाएं शुरू करने की अंतिम अनुमति के रूप में माना जाना चाहिए।

ढ. समान मोबाइल नेटवर्क साइट/टावर स्थान के लिए अतिरिक्त एसएसीएफए मंजूरी की आवश्यकता को सरल संचार पोर्टल पर सूचना के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

ण. डब्ल्यूपीसी से समीक्षा-आधारित उपकरण प्रकार अनुमोदन (ईटीए) प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और समयबद्ध किया जाना चाहिए। डीम्ड अनुमोदन के प्रावधान के साथ एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

त. डीओटी को एक निर्धारित स्तर से कम बिजली उत्सर्जित करने वाले वायरलेस सेंसर वाले उपकरणों के लिए ईटीए/आयात लाइसेंस का अध्ययन करने और छूट देने के लिए एक कार्यदल तैयार करना चाहिए।

थ. एमटीसीटीई योजना के लिए, टीईसी द्वारा एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक से यानि (i) टीईसी, (ii) ओईएम, (iii) सेवा प्रदाता और (iv) उपभोक्ता से दो सदस्य शामिल होंगे। समिति के सदस्यों को बारी-बारी से नियुक्त किया जाना

चाहिए। समिति को उत्पादों के परीक्षण के लिए अनुपालन के तरीके पर फिर से विचार करना चाहिए तथा उत्पाद परीक्षण के मॉड्यूलर कार्यान्वयन पर विचार करना चाहिए।

द. सरकार को भारत में प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिए और एमटीसीटीई के नए चरणों को अधिसूचित करने से पहले प्रयोगशालाओं का मूल्यांकन करना चाहिए।

ध. दूरसंचार उत्पादों के परीक्षण में दोहराव से बचने के लिए दूरसंचार विभाग को i) एमईआईटीवाई, ii) डॉट डब्ल्यूपीसी, iii) टीईसी, iv) बीआईएस और v) उत्पाद निर्माताओं के दो प्रतिनिधियों से संयुक्त सचिव स्तर के दो वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों वाली एक स्थायी समिति का गठन करना चाहिए। समिति को स्पष्ट रूप से एकल परीक्षण योजना की पहचान करनी चाहिए जिसके तहत उत्पाद का परीक्षण किया जाना है।

न. DOS को सिंगल विंडो पोर्टल पर भारतीय उपग्रहों के विवरण और क्षमता उपलब्धता और अनुमोदित विदेशी उपग्रहों/उपग्रह प्रणालियों, उनके कक्षीय स्थानों, ट्रांसपोंडरों और आवृत्ति उपलब्धता और उनके अन्य तकनीकी और सुरक्षा मापदंडों की एक सूची प्रकाशित करनी चाहिए।

ऩ. एमईआईटीवाई को बीआईएस के परामर्श से उत्पाद प्रमाणन के संबंध में अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण के लिए चरण-वार समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

8. "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी" पर अनुशंसाओं का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है।

9. स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा